उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम )
14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1309–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 22–10(1)पें0एवंआर0 / 2015, दिनांक : 19 सितम्बर, 2022

## कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2022 को सम्पन्न 183वीं बैठक में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप उ0प्र0 शासन, खेलकूद अनुभाग के शासनादेश संख्या : 1809 / बयालिस–2006–1 / ए0क्यू–4 / 05, दिनांक 11 सितम्बर, 2006 जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतिभावान / कुशल खिलाड़ियों को प्रदेश के शासकीय / सार्वजनिक उपक्रमों में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु 02 प्रतिशत क्षैतिज **(Horizontal)** आरक्षण प्रदान किया गया है, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में एतद्द्वारा अंगीकृत किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जा रहे हैं।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 1309–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 22 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ / केस्को–कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–। / स्तर–।।), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 10 अगस्त, 2022 को सम्पन्न 183वीं बैठक के मद संख्या–183(15) के सम्बन्ध में।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

आ0न0

(आनन्द श्रीवास्तव)
अनु सचिव (पें0एवंआर0)

सं0 1360 अपर प्रचिव-तृतीय/पाकाजि/15
दिनांक 07.10.15

संख्या-1809/बयालिस-2008-1/ए.क्यू.4/05

प्रेषक,

श्रीकृष्ण
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या 1232 प.उ.नि./15
पत्रावली 10(1) P4P/15

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खेलकूद अनुभाग | लखनऊ | दिनांक : 11 - सितम्बर, 2008

विषय--प्रदेश के प्रतिभावान/कुशल खिलाड़ियों को प्रदेश की शासकीय/सार्वजनिक उपक्रमों में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर नियुक्ति हेतु 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदेश के प्रतिभावान/कुशल खिलाड़ियों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों(लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) में 02प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदेश के अर्हता वाले प्रतिभावान/कुशल खिलाड़ियों के लिये किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- आरक्षण राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर केवल सीधी भर्ती के प्रक्रम पर होगा। पदोन्नति के पदों पर नहीं होगा।

2- आरक्षण हारिजेन्टल प्रकृति का होगा अर्थात् किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर कुशल खिलाड़ियों आरक्षण के अधीन चयनित खिलाड़ी जिस श्रेणी का होगा उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

3- राज्याधीन लोक सेवाओं पर पदों में सीधी भर्ती के लिए किसी चयन में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पद यदि कुशल खिलाड़ी/अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा सके तो वह पद उपयुक्त(सामान्य/एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी.) अभ्यर्थियों से भरा जायेगा व भविष्य के लिए अग्रेनीत नहीं किया जायेगा।

4- 'कुशल खिलाड़ियों' के प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु 'सक्षम अधिकारी' का निर्धारण कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-20/5/2002-का-2/2002, दिनांक 20 जुलाई, 2002 (शासनादेश की प्रतिलिपि संलग्न) में की गई व्यवस्था के अनुसार लागू होगा।

---2

409



5- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के लिए कुशल खिलाड़ी के संबंध में वांछित सभी अर्हतायें, पद सम्बन्धी सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पूर्ववत् अर्हताओं के अनुरूपन रहेगी व उनमें इस शासनादेश से कोई परिवर्तन नहीं होगा।

6- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे लेकिन जिन रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किये जा चुके है या जिन रिक्तियों के लिए चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो, उन पर यह आदेश लागू नही होंगे। चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने का आशय भर्ती का आधार केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार होने की स्थिति में ऐसी परीक्षा/साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने से है, जिन पदों पर भर्ती का आधार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों है उनके संबंध में चयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने का आशय लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने से है।

7- लोक सेवाओं एवं पदों का तात्पर्य उ०प्र० लोक सेवा(अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 में परिभाषित "लोक सेवाओं और पदों" से है।

कुशल खिलाड़ी की परिभाषा से आच्छादित होने के मानदण्ड निम्नवत् दिए गए है :-

| क्र० सं० | तृतीय श्रेणी के समूह 'ग' के पद पर चयन हेतु पात्रता | चतुर्थ श्रेणी के समूह 'घ' के पद पर चयन हेतु पात्रता |
|---|---|---|
| 1- | भारतीय सीनियर,जूनियर राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होकर मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता यथा-ओलम्पिक, विश्व कप अथवा विश्व चैम्पियनशिप,कामनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप आदि में भाग लिया हो और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण, रजत या कॉस्य पदक जीता हो अथवा टीम खेल में टीम का सदस्य बनकर टीम ने स्वर्ण, रजत या कॉस्य पदक जीता हो। अथवा, | 1- भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर/जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपने राज्य/संस्था की ओर से भाग लेकर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण, रजत या कॉस्य पदक जीता हो अथवा टीम खेल में टीम का सदस्य रहकर टीम ने स्वर्ण, रजत एवं कॉस्य पदक जीता हो। अथवा, |
| 2- | भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर/जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपने राज्य/संस्था की ओर से भाग लेकर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण, रजत या कॉस्य पदक जीता हो अथवा टीम खेल में टीम का सदस्य रहकर टीम ने स्वर्ण, रजत या कॉस्य पदक जीता हो अथवा, | 2-अपने विश्वविद्यालय की ओर से मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय प्रतियोगिता में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण, रजत या कॉस्य पदक जीता हो अथवा टीम खेलों में टीम का सदस्य रहकर टीम ने स्वर्ण, रजत या कॉस्य पदक जीता हो। अथवा, |

| | | |
|---|---|---|
| 3— | भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण, रजत या कॉस्य पदक जीता हो अथवा टीम खेल में टीम का सदस्य रहकर टीम ने स्वर्ण, रजत या कॉस्य जीता हो। | 3—अखिल भारतीय स्कूल खेलकूद संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपने राज्य/संस्था की ओर से भाग लेकर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण, रजत या कॉस्य पदक जीता हो अथवा टीम खेलों में टीम का सदस्य रहकर टीम ने स्वर्ण, रजत एवं कॉस्य पदक जीता हो। |

2— प्रश्नगत क्षैतिज आरक्षण 50प्रतिशत वर्टिकल आरक्षण की सीमान्तर्गत ही अनुमन्य किया जा रहा है।

3— अतः कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
22/5/06
(श्रीकृष्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या—1809(1)/बयालिस—2006, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद ।
2— निदेशक,खेल उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।
3— समस्त अनुभाग,उत्तर प्रदेश सचिवालय ।
4— समस्त क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी/क्रीड़ाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5— प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ समस्त निगमों/निकायों/उपक्रमों को एक—एक प्रति अनुपालनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(डी० के० सिंह)
संयुक्त सचिव।

(25)

संख्या–20/5/2002–का–2/2002

प्रेषक,

राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र।
3–समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

लखनऊ दिनांक 20 जुलाई, 2002

विषय–कुशल खिलाड़ियों के लिए "खेलों" तथा खेल के प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी का निर्धारण।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–2

उत्तर प्रदेश (उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2002 के नियम 5 (ग) में कुशल खिलाड़ियों के लिए अंक देने की व्यवस्था की गयी है। अतएव एतद्द्वारा प्रदेश के खेलकूद विभाग से मान्यता प्राप्त "खेल" निम्नवत् हैं :–

1–आर्चरी
2–एम्योपोर एथलेटिक्स
3–बास्केट बाल
4–बाक्सिंग
5–फुटबाल
6–जिम्नास्टिक
7–हैण्डबाल
8–हाकी
9–जूडो
10–राइफल
11–रोइंग
12–स्वीमिंग
13–टेबुल–टेनिस
14–बालीवाल
15–भारोत्तोलन
16–कुश्ती
17–तलवारबाजी
18–ताइक्वाडो
19–टेनिस
20–बैडमिन्टन
21–खो–खो
22–कबड्डी

उक्त मान्यता खेलों के लिए ही अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, अन्तर्विश्वविद्यालय/कालेज/स्कूल स्तर खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए

निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारी निर्धारित किये जाते हैं:–

| | |
|---|---|
| 1–अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता | सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव। |
| 2–राष्ट्रीय प्रतियोगिता | सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन अथवा राज्य एसोसिएशन के सचिव। |
| 3–अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेन्ट | सम्बन्धित विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स अथवा क्रीडाओं के कोई अन्य सर्व कार्यभार अधिकारी। |
| 4–राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद | राज्य के शिक्षा निदेशालय में स्कूल खेल/क्रीड़ा के सर्व कार्यभारी निदेशक अथवा अतिरिक्त संयुक्त या उप निदेशक। |
| 5–राज्य प्रतियोगिता | प्रादेशिक खेलकूद संघ के सचिव। |

3–उक्त मान्यता प्राप्त खेलों के अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, विश्वविद्यालय एवं स्कूल स्तर को निम्नवत स्पष्ट किया जा रहा है :–

| | |
|---|---|
| 1–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर | (ओलम्पिक, कामनवेल्थ, ऐशियन गेम्स, एफ्री एशियन गेम्स में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व) विश्वकप/क्रिकेट टेस्ट मैच |
| 2–राष्ट्रीय स्तर | (उक्त प्रस्तर–1 की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को छोड़कर अन्य मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व (वरिष्ठ वर्ग में) |
| 3–राज्य स्तर | राष्ट्रीय खेल/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (वरिष्ठ वर्ग) में प्रदेशीय टीम का प्रतिनिधित्व। |
| 4–विश्वविद्यालय | (अन्तर विश्वविद्यालय, जोनल व इससे ऊपर की प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय की टीम का प्रतिनिधित्व। |
| 5–स्कूल | (राष्ट्रीय स्कूली चैम्पियनशिप में प्रदेशीय स्कूली टीम का प्रतिनिधित्व। |

4–इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि समूह "ग" भर्ती के लिए आवेदन-पत्र के साथ "कुशल खिलाड़ी" के जो प्रमाण-पत्र संलग्न किए जायेंगे वह प्रमाण-पत्र ऊपर प्रस्तर-2 में अंकित "सक्षम प्राधिकारी" के स्तर से ही जारी किए जाने पर ही वैध माने जायेंगे और उन्ही प्रमाण-पत्रों पर सम्बन्धित को लाभ अनुमन्य होगा।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्त प्राधिकारीगण को सूचित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव।

०एस०यू०पी० ए०पी० 12 सा० नियुक्ति–20–7–2007–(806)–1000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।